HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 15606/2025

Lakhvinder Singh S/o Gurmukh Singh, Aged About 38 Years, Resident Of Chak 85 Rb Police Station Raisinghnagar District Sri Ganganagar Rajasthan (At Present Lodged In Central Jail Sriganaganagar)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. S.R. Godara Mr. Sunil Dhaka
For Respondent(s)	:	Mr. Urja Ram Kalbi, PP Mr. Rajendra Choudhary

---

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

28/03/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना– रायसिंह नगर, जिला– गंगानगर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 342/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 109(1), 324(4), 324(5), 189(2) भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को प्रकरण में झूठा संबद्ध किया गया है। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त लखविन्द्र सिंह के संदर्भ में मुख्य आहतगण पंकज व अजय द्वारा अपने धारा 180 बीएनएसएस के कथनों में उसके द्वारा मारपीट करना नहीं बताया गया है। इस संदर्भ में आहतगण अजय व पंकज ने अपने बयानों में मुख्य रूप से अन्य सहअभियुक्तगण अनोख सिंह, गुरविन्द्र सिंह तथा दशमेश सिंह द्वारा मारपीट करने के कथन किए हैं। उनका यह भी तर्क है कि प्रकरण में प्रार्थी पक्ष द्वारा भी परिवादी पक्ष के विरुद्ध एक क्रॉस केस एफआईआर संख्या 351/2025 पुलिस थाना रायसिंह नगर में पंजीबद्ध कराया गया है, जिसके संदर्भ में पुलिस द्वारा 15 व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में

प्रार्थी पक्ष एवं परिवादी पक्ष के मध्य जो परस्पर मारपीट हुई है, प्रार्थी/अभियुक्त की इस संदर्भ में कोई भूमिका मुख्य आहतगण द्वारा नहीं बताई गई है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 27.11.2025 से अभिरक्षा में चल रहा है एवं प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में एक प्रकरण धारा 323, 341, 34 आईपीसी के अंतर्गत अवश्य पंजीबद्ध हुआ है, परंतु प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त की कोई संबद्धता मुख्य आहतगण के कथनों से नहीं आई है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक एवं विद्वान् अधिवक्ता परिवादी द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया। उनका तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर हथियारों से सुसज्जित होकर आहतगण अजय व पंकज के साथ मारपीट करने के स्पष्ट आक्षेप हैं। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा भी उक्त अपराध में सम्मिलित होते हुए आहतगण अजय व पंकज के साथ मारपीट की गई है। आहत अजय को कारित चोट, जो उसकी आंख पर आई है, वह गंभीर प्रकृति की होना पाई गई है और चिकित्सक द्वारा उसे स्थायी विद्रूपण होना उल्लेखित किया गया है। इसी प्रकार उक्त आहत को कारित चोट संख्या 2 के संदर्भ में भी चिकित्सक द्वारा उसे प्राणघातक होना बताया गया है। उक्त आहत चोटों के कारण अस्पताल में भर्ती रहा है, उसका ऑक्सीजन स्तर अत्यधिक कम रहा है तथा उसे रक्त चढ़ाया गया है और यदि उक्त आहत का तत्काल उपचार नहीं होता, तो उसकी मृत्यु होने की पूर्ण संभाव्यता थी। इसके अतिरिक्त आहत पंकज के भी धारदार हथियार से गंभीर चोट उसके पैर पर कारित की गई है। उनका यह भी तर्क है कि प्रकरण में जो प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्त पक्ष द्वारा पंजीबद्ध कराई गई है, वह दस दिन बाद सोच–समझकर पंजीबद्ध कराई गई है और मौके पर 'फ्री फाइटिंग' का मामला नहीं है, अपितु अभियुक्तगण द्वारा हथियारों से मारपीट की गई है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन अस्वीकार किया जाए।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में मुख्य साक्षीगण अर्थात् आहतगण पंकज व अजय द्वारा अपने धारा 180 बीएनएसएस के कथनों के अंतर्गत उनको कारित उपहतियों के संदर्भ में विशिष्टतः अन्य सहअभियुक्तगण दशमेश, अनोख सिंह व गुरविन्द्र

सिंह द्वारा धारदार हथियारों से मारपीट करना उल्लेखित किया गया है। इस संदर्भ में उक्त दोनों साक्षीगण ने अपने कथनों में प्रार्थी/अभियुक्त का भी हथियारों के साथ मौके पर उपस्थित होना व मारपीट करना उल्लेखित किया गया है, परंतु उक्त दोनों साक्षीगण द्वारा उनको कारित विशिष्ट चोटों के संदर्भ में प्रार्थी/अभियुक्त का नाम उल्लेखित नहीं किया गया है। इस प्रक्रम पर प्रकरण के अन्य गुणावगुणों पर और कोई टिप्पणी किया जाना अपेक्षित नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मैं प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य समझता हूँ।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **लखविन्द्र सिंह पुत्र गुरमुख सिंह** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस–पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलम्ब निम्न शर्त पर जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

शर्तः–

प्रार्थी/अभियुक्त प्रत्येक माह की 25 तारीख को, विचारण की समाप्ति तक, संबंधित पुलिस थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। संबंधित पुलिस थानाधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थी/अभियुक्त की उपस्थिति दर्ज करते हुए नियमित रजिस्टर का संधारण करेगा एवं उक्त उपस्थिति की रिपोर्ट उसी दिन संबंधित विचारण न्यायालय को बिना किसी विलंब के प्रेषित करेगा। यदि प्रार्थी/अभियुक्त उक्त शर्त का उल्लंघन करता है, तो संबंधित लोक अभियोजक उक्त आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत को निरस्त करने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेगा।

इस आदेश की एक प्रति संबंधित थानाधिकारी को सख्त अनुपालना हेतु भेजी जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

MOHIT/ 17